पत्रांक– 06/वि० 09–130/2025–29

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सेवा में,

**महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,**
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक : 21/05/2026

**विषय :–** **वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार बाल भवन 'किलकारी' के संचालन हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹9,84,22,000/– (नौ करोड़ चौरासी लाख बाईस हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं ₹3,24,79,260/–(तीन करोड़ चौबीस लाख उन्नासी हजार दो सौ साठ रूपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

**द्वारा :–** **आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।**

**आदेश :–** **स्वीकृत।**

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार के नौ प्रमंडलों–पटना, दरभंगा, मगध, भागलपुर, पूर्णिया, तिरहुत, सारण, कोशी एवं मुंगेर में बच्चों के पढ़ाई के अलावे नृत्य, वैज्ञानिक नवीकरण, शोध कार्य, खेल, फिल्म निर्माण, साहित्य जैसे क्षेत्रों में बच्चों को अव्वल बनाने के लिए बिहार बाल भवन 'किलकारी' का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुछ अन्य कार्य योजनाओं में बाल नवाचार पर कार्य बाल भवन में चल रहे प्रशिक्षण का बच्चों पर प्रभाव को लेकर कार्य मूल्यांकन, डिजिटल लैब को समृद्ध बनाने का कार्य के साथ–साथ ऑडियो, विजुअल सामग्रियों की व्यवस्था, प्रकाशन (नाटक, नृत्य, संगीत से संबंधित पाठ्यक्रम का प्रकाशन), गुल्लक बच्चा बैंक का संचालन इत्यादि कार्यक्रम को शामिल किया गया है तथा इनके प्रशिक्षण एवं अन्य सेवा के भुगतान के लिए गैर वेतन मद में राशि का भुगतान किया जाना है।

**2.** उक्त परिप्रेक्ष्य में निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार बाल भवन 'किलकारी' के संचालन एवं बच्चों के प्रशिक्षण से संबंधित स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹9,84,22,000/– (नौ करोड़ चौरासी लाख बाईस हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं ₹3,24,79,260/–(तीन करोड़ चौबीस लाख उन्नासी हजार दो सौ साठ रूपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जानी है।

**3.** वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार बाल भवन 'किलकारी' के संचालन हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹9,84,22,000/– (नौ करोड़ चौरासी लाख बाईस हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं ₹3,24,79,260/–(तीन

करोड़ चौबीस लाख उन्नासी हजार दो सौ साठ रूपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**4.** वित्तीय वर्ष 2026–27 में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना, बिहार बाल भवन 'किलकारी' योजना के अंतर्गत होने वाले उक्त राशि के व्यय का विकलन माँग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01–प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष–001 निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष–0004 बिहार बाल भवन किलकारी, विपत्र कोड–21–2202010010004 के विषय शीर्ष–0004.31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

**5.** स्वीकृत राशि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी। राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार ट्रेजरी कोड–2011 के नियम 270 के अनुसार BTC Form-42 पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर नया सचिवालय, विकास भवन, पटना कोषागार से किया जायेगा तथा निम्नलिखित विवरणी के अनुसार स्वीकृत राशि बिहार बालभवन 'किलकारी' के संबंधित खाते में CFMS Mode द्वारा NEFT/RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा :–

| Sl | Budget Code | Subject Head | Grant from Bihar Govt, (RS.) | A/C Name | Account Number | IFSC Code | Bank Name & Branch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-2202010010004 | 0004-31-06 | 3,24,79,260/- | Bihar Bal Bhawan Kilkari | 245001000000501 | IOBA0002450 | Indian Overseas Bank, Shiksha Bhawan |
| | **Total** | | 3,24,79,260/- | | | | |

**6.** उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र बिहार बाल भवन 'किलकारी' BTC Form-42 A में महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा नियमावली के नियम 341 के अनुरूप इसकी अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी।

**7.** स्वीकृत एवं व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, बिहार बाल भवन 'किलकारी' के द्वारा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के स्तर से उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

**8.** स्वीकृत राशि का व्यय बिहार बाल भवन 'किलकारी' के कार्यकारिणी की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक मे किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर वेतन मद से वेतन एवं पेंशन मद में राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

**9.** योजना का अनुश्रवण राज्य स्तर पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, बिहार बाल भवन 'किलकारी' द्वारा किया जायेगा।

10. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 एवं वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प, परिपत्रों/अन्य पत्रों में निहित निदेश के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय की जाएगी।

11. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 06/वि० 09–130/2025 के पृष्ठ 37/टि० पर दिनांक 04.05.2026 को प्राप्त है।

13. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से**

ह०/–
**(अजय सतीश भेंगरा)**
**उप सचिव, शिक्षा विभाग।**

ज्ञापांक:– 06/वि० 09–130/2025............. पटना, दिनांक................

**प्रतिलिपि**–कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
**उप सचिव, शिक्षा विभाग।**

ज्ञापांक:– 06/वि० 09–130/2025–29 पटना, दिनांक–21/05/2026

**प्रतिलिपि**–वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बिहार बाल भवन 'किलकारी'/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–05 एवं लेखा शाखा–21 (दो प्रतियों में)/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/AC/DC कोषांग/ I.T. Manager, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**उप सचिव, शिक्षा विभाग।**